सत्यमेव जयते

परमेश्वरन अय्यर
सचिव,
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

सुनीलकुमार
सचिव
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय

सं. एस.11011/1/2020/-एसबीएम-डीडीडब्ल्यूएस
17 मार्च, 2020

प्रिय श्री .....

विषय : पेयजल और स्वच्छता सेवाओं के प्रावधान हेतु **ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी)** को **15वें वित्त आयोग के अनुदानों** के उपयोग के लिए एडवाइजरी के संबंध में

जैसा कि आप विदित हैं कि पारिवारिक स्तर पर पर्याप्त मात्रा एवं विनिर्दिष्ट गुणवत्ता में सुनिश्चित पेय जल की उपलब्धता और उन्नत स्वच्छता बेहतर जीवन-यापन गुणवत्ता तथा रोग मुक्त जीवन की कुंजी है, जिससे लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। संविधान के 73वें संशोधन की भावना के अनुसार, यह महत्वपूर्ण है कि गांवों में इन सेवाओं का प्रबंध करने के लिए ग्राम पंचायतों (जीपी) को सशक्त कियाजाए। इस भावना में, क्रमिक वित्त आयोगों ने *अन्य बातों के साथ-साथ* राज्य विशिष्ट अनुदानों के रूप में जल आपूर्ति और स्वच्छता को तथा 'जलापूर्ति का प्रबंध' और स्वच्छता' के लिए पंचायतों को अनुदान के रूप में सामाजिक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है।

2. 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट में, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए जल आपूर्ति और स्वच्छता को राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया है, और तदनुसार (**क) स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को कायम रखने; और (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण** के लिए 60,750 करोड़ रुपये का 50% यानी 30,375 करोड़ रुपये की राशि आरएलबीएस को आबद्ध अनुदान के रूप में आवंटित किया गया है। पीआरआई को इन दोनों घटकों में से प्रत्येक के लिए इन आबद्ध अनुदानों का आधा हिस्सा अलग निमित्त करना होगा। तथापि, यदि किसी ग्राम पंचायत ने किसी एक श्रेणी की जरूरतों को पूरी तरह से पूर्ति कर दी है, तो ग्राम पंचायत अन्य श्रेणी के निधियों का उपयोग कर सकती है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा पीआरआई को आवंटित राज्य-वार कुल अनुदान तत्काल संदर्भ (*अनुलग्नक- I*) के लिए संलग्न है।

3. पिछले पांच वर्षों के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा हासिल करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम (जी)) के तहत बड़े स्तर पर प्रयास और निवेश किए गए हैं। ओडीएफ परिणामों को कायम रखने और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी ओडीएफ प्लस वाले देश के सभी गांवों को कवर करने के उद्देश्य से एसबीएम (जी) के चरण- II की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार, यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवारों में दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा और विनिर्दिष्ट गुणवत्ता में नल से जल की आपूर्ति हो। जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन राज्यों के साथ साझेदारी में चल रहा है। जेजेएम के अंतर्गत, ग्राम पंचायतों और/या उसकी उप-समिति को अपनी स्वयं की जलापूर्ति प्रणाली की योजना बनाने, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रखरखाव हेतु सशक्त बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इन दोनों योजनाओं के तहत, कुछ प्रमुख गतिविधियों की पहचान की गई है और ऐसी गतिविधियों की उदाहरणस्वरुप सूची संलग्न है। पीआरआई संस्थाएं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त गतिविधियाँ भी शुरु कर सकती हैं। इस बात पर गौर किया जा सकता है कि पीआरआईएस संस्थाएं या तो इन गतिविधियों को स्वयं कर सकती हैं या पेयजल आपूर्ति, जल संरक्षण, स्वच्छता, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहमत निबंधन और शर्तों पर सेवा प्रदाताओं को नियुक्त कर सकती हैं। ग्राम पंचायत/ ग्राम पंचायत के क्लस्टर के आकार, जनसंख्या, ठोस और तरल अपशिष्ट की मात्रा आदि के आधार पर कार्यान्वयन के विभिन्न मॉडल और प्रौद्योगिकी विकल्पों को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले विस्तृत दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया जाएगा। इसके अलावा, सुपरिभाषित 'सेवा स्तर के मापदंडों' के साथ मॉडल संविदा करार भी तैयार किए जाएंगे और जीपीएस द्वारा अपनाने के लिए अलग से प्रसारित किए जाएंगे।

4. आपसे अनुरोध है कि इसे सभी पीआरआई के ध्यान में लाएं ताकि जल और स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग करते समय, जेजेएम और एसबीएम (जी) चरण -1 (अनुलग्नक-II और III के अनुसार) के तहत चिह्नित सभी गतिविधियों को शामिल करने हेतु प्राथमिकता दें ताकि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल और स्वच्छता सुविधाओं की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

आपका,

सुनील कुमार **परमेश्वरन अय्यर**

सेवा में,
मुख्य सचिव,
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

अनुलग्नक – I

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा पीआरआई को आवंटित राज्य-वार कुल अनुदान

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	आवंटित अनुदानों की राशि
1.	आंध्र प्रदेश	2,625
2.	अरुणाचल प्रदेश	231
3.	असम	1,604
4.	बिहार	5,018
5.	छत्तीसगढ	1,454
6.	गोवा	75
7.	गुजरात	3,195
8.	हरियाणा	1,264
9.	हिमाचल प्रदेश	429
10.	झारखंड	1,689
11.	कर्नाटक	3,217
12.	केरल	1,628
13.	मध्य प्रदेश	3,984
14.	महाराष्ट्र	5,827
15.	मणिपुर	177
16.	मेघालय	182
17.	मिजोरम	93
18.	नगालैंड	125
19.	ओडिशा	2,258
20.	पंजाब	1,388
21.	राजस्थान	3,862
22.	सिक्किम	42
23.	तमिलनाडु	3,607
24.	तेलंगाना	1,847
25.	त्रिपुरा	191
26.	उतर प्रदेश	9,752
27.	उत्तराखंड	574
28.	पश्चिम बंगाल	4,412
	कुल	**60,750**

अनुलग्नक – II

क्र. सं.	पेयजल संबंधी गतिविधियाँ
नियमित आधार पर प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पेयजल का न्यूनतम सेवा स्तर प्रदान करने हेतु जलापूर्ति प्रणाली की दीर्घकालिक संधारणीयता। उदाहरणस्वरुप गतिविधियाँ (लेकिन संपूर्ण नहीं) निम्न हैं:	
1.	पेय जल के मौजूदा जल स्रोतों अर्थात बोरवेल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन अर्थात चेक डैम, जल निकायों का पुनर्वास, वाटरशेड और स्प्रिंगशेड प्रबंधन, आदि का संवर्धन।
2.	विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों आदि संस्थानों में पानी उपलब्ध कराना।
3.	संपूर्ण डिजाइन अवधि के लिए सेवा प्रदायगी में सुधार हेतु मौजूदा जलापूर्ति योजनाओं/प्रणालियों का पुनःसंयोजन (रेट्रोफिटिंग)।
4.	नजदीकी सतही स्रोत, बोरवेल, गांव के वितरण नेटवर्क, ओवरहेड टैंक (ईएसआर),हौदी (संप), छोटे घरों वाले लोगों के लिए कपड़े धोने और नहाने की जगह, मवेशियों के लिए नांद/ट्राउ आदि से पानी लाना।
5.	ग्रे वाटर ट्रीटमेंट और उसका स्थिरीकरण तालाब और संबंधित बुनियादी ढाँचा।
6.	पेयजल आपूर्ति और ग्रे वाटर का प्रचालन एवं रखरखाव प्रबंधन प्रणाली।

अनुलग्नक – III

क्र. सं.	स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ
1.	स्वच्छता और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अर्थात, समुदाय प्रबंधित स्वच्छता परिसर, ग्रे जल प्रबंधन प्रणाली, गोबरधन परियोजनाएं, मलीय कीचड़ प्रबंधन परियोजनाएँ, सोख गड्ढे, कम्पोस्ट गड्ढे के उद्देश्य से बनाई गई सभी सामुदायिक परिसंपत्तियों का संचालन और रखरखाव।
2.	घरों/परिवारों से ग्राम स्तर के शोधन स्थल से कचरे का संग्रहण एवं परिवहन और कम्पोस्ट केन्द्र का प्रबंधन।
3.	एसबीएम (जी) चरण-II दिशानिर्देशों के वित्तपोषण मानदंडों के अनुसार समुदाय प्रबंधित स्वच्छता परिसर का निर्माण।
4.	एसबीएम (जी) चरण-II दिशानिर्देशों के वित्तपोषण मानदंडों के अनुसार सामुदायिक कम्पोस्ट गड्ढों, सामुदायिक सोख गड्ढों/ ग्रे जल प्रबंधन प्रणाली का निर्माण।
5.	गाँव के भंडारण से ब्लॉक स्तर पर स्थित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई तक प्लास्टिक कचरे का परिवहन(एसबीएम-जी चरण- II दिशानिर्देश देखें) ।
6.	शौचालयों के समूह के लिए सामुदायिक स्तर पर शौचालयों का पुनःसंयोजन (रेट्रोफिटिंग) करना।
7.	जल निकासी नालों का निर्माण।
8.	अपशिष्ट प्रबंधन परिसर की सफाई के लिए उपकरण और श्रमिकों के लिए सुरक्षा सुरक्षा उपकरण, जिसमें मास्क/गमबूट आदि शामिल हो सकते हैं।
9.	सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक स्तर पर पृथक्करण डिब्बों/ बिन्स की व्यवस्था (दाहेरी डिब्बा प्रणाली)
10.	मासिक धर्म संबंधी अपशिष्ट का प्रबंध उचित स्थान, अधिमानतः संग्रह केंद्र पर किया जाना चाहिए जिसमें सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा अनुमोदित भस्मक यानी इन्सिरेटर मॉडल शामिल हो सकते हैं।
11.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद कार्यक्रम (एनएनबीओएमपी) के मानदंडों के अनुसार गोबर-धन परियोजनाओं (न्यूनतम 10 प्रति ब्लॉक) का विस्तार।

****